UPBB010034812022

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय कक्ष संख्या–5, बाराबंकी।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 1657/2022

संग्राम सिंह उर्फ अशोक वर्मा, आयु लगभग 23 वर्ष पुत्र तेज शंकर, निवासी ग्राम आदमपुर, नौबस्ता, थाना गोसाईगंज, जिला बाराबंकी।

.....प्रार्थीगण।

बनाम

राज्य उ०प्र० विपक्षी।

अपराध सं.181/2017
धारा 308, 336 IPC
थाना लोनीकटरा, जिला बाराबंकी।

05–08–2022

प्रस्तुत जमानत आवेदन प्रार्थी/अभियुक्त संग्राम सिंह उर्फ अशोक वर्मा के द्वारा अन्तर्गत अपराध सं.181/2017, धारा 308, 336 भा०दं०सं०, थाना लोनीकटरा, जिला बाराबंकी के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है तथा जमानत प्रार्थनापत्र में यह कथन किया गया है कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है तथा उसका कोई भी जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

दिनांक 01–08–2022 को आवेदक/ अभियुक्त संग्राम सिंह उर्फ अशोक वर्मा की अन्तरिम जमानत दिनांक 05–08–2022 तक के लिये विस्तारित की गयी थी तथा वह अवर न्यायालय के समक्ष आत्म समर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में है।

अभियोजन केस के अनुसार संक्षेप में तथ्य यह है कि वादी मुकदमा प्रमोद कुमार द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं०प्र०सं० के आधार पर थाना लोनीकटरा में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि दिनांक 23–06–2016 को उसके घर के छत की ढलाई हुई थी तथा वह मजदूरों और मिस्त्री का हिसाब कर रहा था, तभी पुरानी रंजिश के कारण उसके भाई संग्राम सिंह उर्फ अशोक वर्मा ने जान से मारने की नियत से 4–5 ईटे फेंक कर वादी मुकदमा के सिर पर मारा तथा छत पर रखे फावड़े को भी फेंक कर उसके सिर पर मारा जिससे वादी मुकदमा का सिर फट गया और वह बेहोश हो गया। इलाज हेतु वादी मुकदमा को सी०एच०सी० केन्द्र लोनी कटरा ले जाया गया जहां से उसे जिला चिकित्सालय, बाराबंकी रेफर किया गया। हालत में सुधार न होने के कारण उसे इलाज हेतु मडिकल कालेज लखनऊ के लिये रेफर किया गया। वादी मुकदमा का नौ माह तक मेडिकल कालेज में इलाज चला।

अभियुक्त की ओर से जमानत के सम्बंध में यह तर्क दिया कि वह निर्दोष है। उसको उक्त अपराध में फर्जी नामित किया गया है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। दिनांक 23–06–2016 को सैट्रिंग कार्य कन्ट्रैक्टर पल्टू पुत्र केशरी द्वारा कराया जा रहा था। वादी की माता जी ने उसके

अत्याचार से पीड़ित होकर स्वयं एवं अपने पति व बच्चे की सुरक्षा हेतु एक प्रार्थनापत्र मुख्यमंत्री उ०प्र० को दिया था जिसमें उसने यह अंकित किया था कि प्रार्थिनी का बड़ा बेटा प्रमोद प्रार्थिनी के छोटे बेटे अशोक को पैसों तथा जायदाद के लालच में कभी भी जान से मरवा सकता है तथा इसी आशय का प्रत्यावेदन एम०एल०ए० की ओर से भी मुख्यमंत्री उ०प्र० को दिया गया। वादी को पुलिस द्वारा चिकित्सीय परीक्षण हेतु सी०एच०सी० ले जाने का तथ्य भी जांच में छिपाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट मजिस्ट्रेट महोदय के आदेश पर दर्ज करायी गयी है। वादी ने मजीद बयान में दिनांक 28–06–2017 को मेडिकल रिपोर्ट विवेचक को दिया जाना कहा है जो लगभग एक वर्ष बाद की है। वादी द्वारा अपने बयान में 4,5 ईटे व फावड़ा सिर पर फेकने की बात प्रथम सूचना रिपोर्ट में लिखायी गयी है, साथ ही के०जी०एम०सी० में बलरामपुर हास्पिटल द्वारा रेफर किया जाना कहा है, जहां उसका 9 महीने इलाज होना बताया गया है। वादी का कोई इलाज के०जी०एम०सी० में 9 महीने तक चला हो, ऐसी कोई रिपोर्ट चिकित्सीय प्रपत्रों में नहीं है। कोई डिस्चार्ज पेपर वादी मुकदमा ने दाखिल नहीं किया है। विवेचक द्वारा सुभाषचन्द्र साक्षी का बयान दो बार अंकित किया गया है जिसमें उसने गांव का नाम बदला है। चोटहिल को हास्पिटल अलग अलग लोगों द्वारा ले जाना बताया है। विवेचनाधिकारी द्वारा घटनास्थल पर जा करके कोई विवेचना नहीं की गयी है। उसे जमानत पर छोड़ा जाता है तो वह उसका दुरूपयोग नहीं करेगा तथा जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

प्रार्थनापत्र के समर्थन में आवेदक की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था दाताराम बनाम उ०प्र० राज्य एवं एक अन्य Criminal Appeal No 227/2018 (Arising out of SLP (CRL) No.151 of 2018) दाखिल की गयी जिसका मेरे द्वारा ससम्मान अवलोकन किया गया।

विद्वान लोक अभियोजक (फौजदारी) की ओर से तर्क किया गया कि अभियुक्त के द्वारा वादी मुकदमा के सिर पर ईटे व फावड़ा फेंक कर उसकी पैराइटल बोन को फ्रेक्चर करते हुए गम्भीर जानलेवा चोट कारित की गयी है तथा उसका अपराध गम्भीर प्रक्रति का है। उसका जमानत आवेदन निरस्त किया जाये।

जमानत आवेदन पर विशेष लोक अभियोजक (फौजदारी) व अभियुक्त के विद्वान अधिवक्त को सुना व उपलब्ध प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन किया।

अभियोजन कथानक के अनुसार घटनावाले 23–06–2016 को दिन वादी मुकदमा के घर के निर्माण कार्य के सम्बंध में मजदूरों का हिसाब कर रहा था, उसी समय आवेदक जो कि वादी मुकदमा का भाई है, ने वादी मुकदमा को जान से मारने की नियत से उस पर 4–5 ईटे तथा फावड़ा फेक कर मारा जाना बताया गया है जिससे वादी मुकदमा घायल हो गया। इलाज हेतु उसे सी०एच०सी० त्रिवेदीगंज ले जाया गया। वादी मुकदमा की गम्भीर हालत को देखते हुए उसे जिला चिकित्सालय, बाराबंकी रेफर किया गया। जहां से उसको बलरामपुर अस्पताल लखनऊ तथा बलरामपुर अस्पताल लखनऊ से उसे के०जी०एम०सी० लखनऊ उपचार हेतु भेजा गया जिसके प्रपत्र पत्रावली पर लगाये गये हैं। सी०एच०सी० त्रिवेदीगंज के मेडिकल आफिसर द्वारा मजरूबी चिट्ठी पर प्रमोद कुमार के सिर पर आयी चोट के कारण अचेत अवस्था में होने एवं उसके सिर से खून बहने के कारण हालत गम्भीर होना अंकित ह जिसके कारण दिनांक 30–06–2016 को उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। घायल का दिनांक 07–07–2016 को एडवांस्ड डाइग्नोस्टिक सेन्टर से एम०आर०आई० कराये जाने की रिपोर्ट पत्रावली पर दाखिल है जिसमें निम्न चोट पायी गयीः–

1. Mildly depressed fracture of left parietal bone with irregular area of hemorrhagic confusion on left parietal lobe.

2. Left tympano–mastoid cavity and sphenold sinus filled with hemorrhagic fluid collection with fracture of roof of sphenold sinus and longitudinal fracture of left pterous temporal bone.

डाक्टर उमाशंकर ई०एम०ओ० त्रिवेदीगंज द्वारा अपने बयान में दिनांक 23–06–2016 को घायल की चोट का निरीक्षण करने और उसे जिला अस्पताल रेफर करने का उल्लेख विवेचक द्वारा केस डायरी के पर्चा सं.3 मे तथा डाक्टर के इलाज का बयान केस डायरी के पर्चा सं.4 में विवेचक द्वारा दर्ज किया गया है। वादी मुकदमा, आवेदक अभियुक्त का सगा भाई बताया गया है जिसके द्वारा वादी मुकदमा पर ईट व फावड़े से प्रहार करने का आरोप है। वादी मुकदमा के सिर में पैराइटल बोन का फ्रेक्चर होना पाया गया है। आवेदक को झूंठा फसाये जाने और उससे रंजिश हाने का ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। अतः मामले के तथ्य परिस्थितियों तथा अपराध की गम्भीरता को देखते हुए तथा प्रस्तुत प्रकरण के गुण–दोष पर कोई अभिमत व्यक्ति किये बिना न्यायालय इस मत की है कि आवेदक का जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/ अभियुक्त संग्राम सिंह उर्फ अशोक वर्मा का जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है।

दिनांक 05–08–2022

(राजीव कुमार–II)
J.O. Code:UP06466
प्रभारी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय सं.5,बाराबंकी।